



96

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/भू-प्रबंध/विद्युत/479-182/1837
 प्रति,

रायपुर, दिनांक 24/07/2027

अपर मुख्य सचिव

छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर

नवा रायपुर

विषय: — **Diversion of forest land for Non-Forest Purpose under FCA 1980 proposed for Modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra Raod - Pendra Road Railway line between location No. 278-281 in area 2.128 ha. - reg.**

- संदर्भ:**
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/6/2023-IRO-Raipur/1609 दिनांक 26.03.2024
 2. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र./एफ-5-25/2023/10-2 दिनांक 16.07.2024
 3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक./1608 दिनांक 12.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 1832 दिनांक 08.07.2024

* * * * *

विषयांतर्गत मरवाही वन मंडल अंतर्गत Modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra raod-Pendra road Railway line between location No. 278-281 के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.128 हे. वन भूमि को उपयोग पर देने हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भी संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र -3 के माध्यम से अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है जिसे अनुसार बिन्दुवार शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 1
2.	Compensatory afforestation:- Compensatory afforestation will be carried over 4.300 Ha. Double degraded Forest Land at, Compartment No. PF.2357 (Protected Forest) in Village- Kesla (Kotmi), Range- Pendra, Forest Division- Marwahi, District- Gaurela-Pendra-Marwahi, whereas, DFO, Marwahi has mentioned in his suitability certificate that CA will be carried in Village- Kotmi. As far as possible, a mixture of local	शर्त अनुसार दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र PF-2357 रकबा 4.30 हे. में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य वन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के व्यय पर कराया जायेगा इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वर्तमान प्रचलित दर से राशि रु. 45,72,362.00 दिनांक 23.04. 2024 को एवं अंतर की राशि रु. 45,72,62.00 दिनांक 05.06.2024 को कुल राशि रु. 50,29,624.00

	indigenous species along fruit /trees and 10% RET species shall be planted and monoculture of any species shall be avoided. The User agency shall make necessary facility/construction in the area to meet the water requirement for plantation and for wild animals throughout the year.	आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा की गई है। पुष्टि हेतु जमा रसीद की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट- 2
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillar if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	शर्त अनुसार आवेदक के व्यय पर दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र PF-2357 रकबा 4.30 हे. का सीमांकन कर 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
4.	NPV:-	
a.	The state Government shall charge the Net Present value (NPV) for the 2.128 hac. Forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the order of the Honble supreme Court of India dated 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dtd 18.09.2003, letter No. 5-2/2006-FC dtd 03.10.2006, letter no. 5-3/2007-FC dtd 05.02.2009, letter no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dtd 06.01.2022 and letter no. 5-3/2011-*FC (Vol-I) dtd 22.03.2022 in this regard.	आवेदित वन भूमि रकबा 2.128 हे. हेतु आवेदक संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 7186802.00 आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में दिनांक 23.04.2024 को जमा की गई है जिसकी पुष्टि परिशिष्ट- 2 से होती है।
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an under taking to this effect.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाराय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 3
5.	User Agency shall restrict the felling to 168 trees in the area that fall in diversion. However only the required and minimum number of trees will be felled. The trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency With the State Forest Department.	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन हेतु राशि रु. 249267.00 एवं सीमांकन हेतु राशि रु. 153960.00 कुल राशि रु. 403227.00 डी.डी. क्र. 927133 दिनांक 22.04.2024 वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड (छ.ग.) के पी.डी खाते में जमा किया गया है।

6.	All the funds received from the user the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	<p>कैम्पा मद की राशि निम्नानुसार राशियां परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा करायी गई है :-</p> <table><tr><th>S.No.</th><th>Date</th><th>Amt.</th><th>Head</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">23-04-2024</td><td>4572362</td><td>CA</td></tr><tr><td>2614440</td><td>NPV</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">05-06-2024</td><td>457262</td><td>CA (diff)</td></tr><tr><td>403790</td><td>Medicinal</td></tr><tr><td>3</td><td>27-06-2024</td><td>1200000</td><td>Avifauna</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>92,47,854</td><td></td></tr></table>	S.No.	Date	Amt.	Head	1	23-04-2024	4572362	CA	2614440	NPV	2	05-06-2024	457262	CA (diff)	403790	Medicinal	3	27-06-2024	1200000	Avifauna	Total		92,47,854	
S.No.	Date	Amt.	Head																							
1	23-04-2024	4572362	CA																							
		2614440	NPV																							
2	05-06-2024	457262	CA (diff)																							
		403790	Medicinal																							
3	27-06-2024	1200000	Avifauna																							
Total		92,47,854																								
7.	The State Government, Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 122 से 132 में वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार प्रमाण पत्र की प्रति e-portal (Parivesh.nic.in) में अपलोड किया गया है।																								
8.	To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local each years for 5 years. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The concerned JFMC's shall maintain record of plantation/ seedling distribution to villagers.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 4																								
9.	The trees having bird nests shall not be felled without written permission from the DCF concern, both in forest as well as non-forest land.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 5																								
10.	Bird diverters shall be installed at suitable intervals throughout the transmission line in consultation with the State Government, and also as per the directions issued by the Hon'ble Supreme Court from time to time.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस हेतु आवेदक संस्थान का पत्र दिनांक 23.04.2024 संलग्न है। परिशिष्ट- 6																								
11.	The User Agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line and provide funds for execution of the said scheme to the State	वन मंडलाधिकारी मरवाही द्वारा औषधी रोपण हेतु 6 वर्षीय असिंचित योजना प्रस्तुत की गयी है। योजना अनुसार राशि रु. 403790.00 आवेदक संस्थान द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में																								

	Forest Department. A copy of the same shall be submitted along with Stage-1 compliance report.	05.06.2024 को जमा की गई गई है जिसकी पुष्टि परिशिष्ट- 2 से होती है।
12.	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project.	शर्त के पालन में पक्षी संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित राशि रु. 12,00,000.00 आवेदक संस्थान द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में 27.06.2024 को जमा की गई है जिसकी पुष्टि परिशिष्ट- 2 से होती है। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. के अनुमोदन में जो अंतर की राशि देय होगी उसे जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचनबद्ध है। परिशिष्ट- 8
13.	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 35m. The minimum clearance between conductors and trees shall be 4.6 m.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 9
14.	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014 and by the Hon'ble Supreme Court from time to time.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस हेतु आवेदक संस्थान का पत्र दिनांक 23.04.2024 संलग्न है। परिशिष्ट- 10
15.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।
16.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 11
17.	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 12
18.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 13
19.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन हेतु राशि रु. 249267.00 एवं सीमांकन हेतु राशि रु. 153960.00 कुल राशि रु. 403227.00 डी.डी. क्र. 927133 दिनांक 22.04.2024 वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड (छ.ग.) के पी.डी खाते में जमा किया गया है।

20.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 14
21.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।
22.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 15
23.	The forest land proposed for diversion, shall under no circumstances, be transferred to any other agencies, department or any person without prior approval of Govt. of India.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 16
24.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and other relevant rules/orders in this regard.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।
25.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट- 17
26.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में भारत सरकार, उप कार्यालय, नवा रायपुर को शासन स्तर से अंतिम चरण स्वीकृति हेतु लेख किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार
(परिशिष्ट- 1 से 17)
(वन बल प्रमख द्वारा अनुमोदित)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 24/07/2027

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/विद्युत/479-182/1838
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (कैम्पा) नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। कैम्पा मद में निम्नानुसार राशियां जमा की गई है:-

क्र.	मद	राशि रु.	रिमार्क
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4572362 + 457262 (50,29,624)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन मंडल के कक्ष क्रमांक PF-2357 रकबा 4.30 हे. दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है।
2.	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	26,14,440	
3.	औषधी रोपण	4,03,790	
4	एवीफौना योजना	12,00,000	

2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर।** प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (5) के पालन में।
3. **मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।**
 - क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 26.03.2024 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के चेप्टर-4 पैरा 12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत **एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।** किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नामर्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे। यह कार्यनुमति पत्र जारी होने के केवल एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी।
 - वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी.डी खाते से आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
4. **वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मण्डल, मरवाही, छत्तीसगढ़।**
5. **कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण), संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एण्ड ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. कोरबा, छत्तीसगढ़।** प्रकरण परिवेश पोर्टल पर आपके स्तर पर लंबित है अतः तत्काल पालन प्रतिवेदन आनलाईन अपलोड करे।

- 2
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़